


बाँदा महायोजना - 2021



बाँदा विकास प्राधिकरण


1. आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल बाँदा	(अध्यक्ष)	पी.वी. जगमोहन
2. जिलाधिकारी बाँदा	(उपाध्यक्ष)	धीरज साहू
3. सचिव उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन	(सदस्य)	
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. प्रतिनिधि	(सदस्य)	शेर सिंह
5. संयुक्त निदेशक, कोषागार, झाँसी प्रतिनिधि	(सदस्य)	के.एस. भारतीय
6. प्रबंध निदेशक, जल निगम उ.प्र.	(सदस्य)	
7. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उ.प्र.	(सदस्य)	
8. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, बाँदा	(सदस्य)	संजय गुप्ता
9. उप महाप्रबंधक विद्युत वितरण मण्डल, बाँदा	(सदस्य)	पी.पी. पाण्डेय
10. संयुक्त निदेशक उद्योग उ.प्र. बाँदा प्रतिनिधि	(सदस्य)	जय सिंह
11. निदेशक पर्यावरण विभाग उ.प्र.	(सदस्य)	
12. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ	(सदस्य)	एस.के.सिंह तोमर

मापक:- 1 सेंटी. मीटर = 80 मीटर

उ०
1 वर्ग सेंटी. = 64 हेक्टेयर

संकेतिका

(क) वर्तमान उपयोग	(ख) प्रस्तावित उपयोग	(ग) अन्य
वर्तमान निर्मित क्षेत्र	आवासीय	ग्रामीण आबादी
शिक्षण संस्थाएं	केंद्रीय क्रियाएं/बाजार स्ट्रीट	बाग
शासकीय उपयोग	सामुदायिक सुविधाएं/संस्थाएं	पहाड़ी
फुटकर दुकानें/मण्डारण	उद्योग	जलाशय एवं नदी नाले
उद्योग	बस तथा ट्रक अड्डा/ट्रान्सपोर्ट नगर	कब्रिस्तान/शमशान भूमि
विद्युत शक्ति उप केंद्र	पार्क तथा क्रीड़ा स्थल/प्रबंधीय पार्क	सीवेज फार्म
पार्क	प्रस्तावित मार्ग/हरित पट्टिका	नगर पालिका सीमा
रेलवे भूमि/बस अड्डा वर्तमान	कृषि क्षेत्र	ग्राम सीमा



नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ.प्र. सम्भागीय नियोजन खण्ड, झाँसी

विशाल भारती सहायक वास्तुविद नियोजक
शेर सिंह सहायक नियोजक
वशिष्ठ नियोजक
एम.एस. खॉं मुख्य नगर ग्राम नियोजक (उ.प्र.)

मानचित्रण- पी.के. राव, सैलेन्द्र कुमार

नोट:-

- महायोजना 2001 में प्रस्तावित भू-उपयोग के विपरीत अनाधिकृत विकास अंकित किया गया है। जिसे शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेश। नीति के अनुसार निर्धारित शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त भू-उपयोग परिवर्तन/नियमितीकरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा, एवं विनियमितीकरण के उपरान्त ही भू-उपयोग परिवर्तन माना जायेगा।
- शासनादेश संख्या-3125 दिनांक 20 अगस्त 2003 के निर्देशों के अनुपालन में महायोजना 2001 में प्रस्तावित हरित क्षेत्रों को महायोजना 2021 में यथावत प्रस्तावित किया गया है इसमें हुये अनाधिकृत निर्माण को प्रथक से अंकित किया गया है, इसके भू-उपयोग परिवर्तन का निर्णय शासन स्तर से लिया जायेगा।

वर्तमान में निर्माणाधीन बाँदा पास का समरेखण (ALIGNMENT)